

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

अध्यात्म विभाग

दिनांक: 09-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
127	अतारंकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.195) दि. 09-07-2019 (श्री दिलीप सिंह गुर्जर)	उज्जैन जिले के नागदा-खाचरौद स्थित पवित्र वृद्ध महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सम्राट विक्रमादित्य की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		
128	अतारंकित प्रश्न सं.59 (प्रश्न क्रं.625) दि. 09-07-2019 (श्री महेश परमार)	उज्जैन जिले के महाकाल विस्तारीकरण योजना हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही की जाना।	भू-अर्जन की कार्यवाही भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

दिनांक: 09-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
129	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्र.106) दि. 09-07-2019 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले की जावरा शुगर मिल परिसर में टेक्सटाईल गारमेन्ट पार्क की स्थापना की स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ किया जाना ।	(1) परियोजना क्रियान्वयन के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) स्वीकृति पश्चात् निविदा आमंत्रण एवं अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् कार्य प्रारंभ हो सकेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

जनसंपर्क विभाग

दिनांक: 09-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
130	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.441) दि. 09-07-2019 (श्री जालम सिंह पटेल)	(1) प्रदेश के पत्रकारों को दुर्घटना उपरांत अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाना । (2) पत्रकारों के लिये पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाना ।	(1) दुर्घटना में मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। (2) पत्रकार सुरक्षा कानून बनाये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

दिनांक: 09-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
131	अतारांकित प्रश्न सं.35 (प्रश्न क्र.430) दि. 09-07-2019 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना संचालित कर प्रशिक्षण तथा रोजगार दी जाना ।	नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 90 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा।		
132	अतारांकित प्रश्न सं.54 (प्रश्न क्र.614) दि. 09-07-2019 (श्री राज्यवर्धन सिंह)	(1) राजगढ़ जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नरसिंहगढ़ में औजार एवं उपकरणों की व्यवस्था की जाना । (2) स्थायी अमले के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	(1) शेष औजार एवं उपकरणों की पूर्ति, आगामी सत्र के पहले पूर्ण कर ली जायेगी। (2) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 09-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
216	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.132) दि. 09-07-2019 (श्री विनय सक्सेना)	(1) जबलपुर शहर के मदन महल पहाड़ी से विस्थापित किए गए परिवारों को आवासीय पट्टे सहित आवास एवं पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराया जाना । (2) पानी की क्वालिटी की जांच उपरांत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाना ।	(1) हम यही प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द प्रत्येक विस्थापित परिवार को ढाई लाख का आवास दिया जाए और सभी को पट्टे दिए जाएं और सभी परिवारों को जल्दी से जल्दी विस्थापित किया जाएगा. मैं पुनः कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम इस पर ध्यान देंगे कि उन्हें पर्याप्त व्यवस्था मिले, उन्हें पक्के आवास मिलें और बुनियादी व्यवस्थाएं निर्मित होंगी तो ही शेष परिवारों को हम विस्थापित करेंगे । (2) मैं तत्काल निर्देश दूंगा कि पानी की जो क्वालिटी है उस पर भी पूरी जाँच की जाएगी और माननीय विधायक जी को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक: 09-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
133	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.578) दि. 09-07-2019 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खण्डवा नगरीय क्षेत्र के शासकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा मरीजों को प्रायवेट नर्सिंग होम्स में रेफर किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जो परम्परा अशासकीय और शासकीय अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में भेजने की है, उसके अलावा आपके संज्ञान में कोई भी हो, तो उसकी पूरी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी।		
134	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.116) दि. 09-07-2019 (श्री कुँवरजी कोठार)	आयुष्मान भारत "निरामयन" योजनान्तर्गत पात्रतानुसार हितग्राहियों का निःशुल्क उपचार किया जाना।	(1) आपने जो संज्ञान में लाया है, उस व्यक्ति की जांच कराकर उनकी पूरी व्यवस्था कराने का स्वास्थ्य विभाग काम करेगा। (2) जहाँ-जहाँ भी ऐसी शिकायत आएगी, उस पर अविलंब कार्यवाही की जाएगी।		
135	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.695) दि. 09-07-2019 (श्री दिव्यराज सिंह)	रीवा जिले की विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत नवीन स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. की व्यवस्था की जाना।	माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश :- विधायक जी आप उसकी पूरी जानकारी मंत्री महोदय जी को दे दीजिएगा। माननीय विभागीय मंत्री :- आप निश्चिन्त रहें मैं कर दूंगा।		
136	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.449) दि. 09-07-2019 (श्री हरदीपसिंह डंग)	स्वास्थ्य केन्द्र सुवासरा में पदस्थ चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की अविलंब जांच की जाना।	(1) इनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर जोहरी को अविलंब उस स्थान से हटाकर संभाग से बाहर किया जा रहा है। (2) माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश :- मंत्री जी, माननीय विधायक ने जो कहा है, दो घंटे के अंदर इसकी जांच करवाई जाये और उसकी जानकारी पटल पर रखी जाये।		
137	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.635) दि. 09-07-2019 (श्री बापूसिंह तंवर)	राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। (2) रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी है		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
138	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.643) दि. 09-07-2019 (श्री के.पी. त्रिपाठी)	रीवा जिले के नगर पंचायत सेमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाना ।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया के सिविल अस्पताल में उन्नयन की कार्यवाही परीक्षाधीन है।		
139	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.277) दि. 09-07-2019 (श्री रामकिशोर कावरे)	(1) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक पदस्थ किया जाना । (2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लामरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना ।	(1) विशेषज्ञ संवर्ग के पदों की रिक्तता प्रदर्शित करते हुए पदस्थापना के प्रयास किये जावेंगे। (2) जी हां। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लामटा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रस्ताव विचाराधीन है।		
140	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.26 (प्रश्न क्रं.497) दि. 09-07-2019 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले की परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाना ।	जी हाँ। इसी परिप्रेक्ष्य में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परासिया को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव विचाराधीन है।		
141	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.576) दि. 09-07-2019 (डॉ. हिरालाल अलावा)	(1) जिला धार के मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाना । (2) आदिवासी बाहुल्य जिलों में शासकीय चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापना की जाना ।	(1) जी हां वर्तमान में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनावर का सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु शासन में विचाराधीन है। (2) चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी।		
142	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.651) दि. 09-07-2019 (श्री राकेश गिरि)	टीकमगढ़ जिले के शासकीय जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी।		
143	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.735) दि. 09-07-2019 (श्री कमल पटेल)	हरदा जिले के शासकीय जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी।		
144	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.47 (प्रश्न क्रं.736) दि. 09-07-2019 (श्री कमल पटेल)	हरदा जिले में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाना ।	पात्रता व बजट की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
145	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.752) दि. 09-07-2019 (श्री उमाकांत शर्मा)	भोपाल संभाग के शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी।		
146	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.53 (प्रश्न क्रं.797) दि. 09-07-2019 (श्री करण सिंह वर्मा)	सीहोर जिले की इछावर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की पूर्ति की जाना।	चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी।		
147	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.57 (प्रश्न क्रं.818) दि. 09-07-2019 (श्री शरद जुगलाल कोल)	(1) जिला शहडोल अंतर्गत तहसील ब्यौहारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की पूर्ति की जाना। (2) उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) चिकित्सकों की उपलब्धता होने पर यथाशीघ्र पदों की पूर्ति की जावेगी। (2) उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों की पूर्ति यथाशीघ्र की जावेगी।		
148	अतारांकित प्रश्न सं.61 (प्रश्न क्रं.644) दि. 09-07-2019 (श्री के.पी. त्रिपाठी)	रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया के उप स्वास्थ्य केन्द्र में ए.एन.एम./एम.पी.डल्यू के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम./एम.पी.डल्यू का पद स्वीकृत रहता है, उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों की पूर्ति यथाशीघ्र की जावेगी।		
149	अतारांकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.653) दि. 09-07-2019 (श्री राकेश गिरि)	माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र के संदर्भ में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर से शिकायतों की बिन्दुवार जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
150	अतारांकित प्रश्न सं.74 (प्रश्न क्रं.743) दि. 09-07-2019 (श्रीमती लीना संजय जैन)	जिला विदिशा अंतर्गत सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

विधि और विधायी कार्य विभाग

दिनांक: 09-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
151	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.303) दि. 09-07-2019 (श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय)	(1) कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में व्यवहार न्यायालय प्रारंभ किया जाना । (2) व्यवहार न्यायालय भवन का निर्माण कार्य कराया जाना । (3) व्यवहार न्यायालयों के लिये जमीनों का अधिग्रहण किया जाना।	(1) छ: माह के अंदर पूरे होकर न्यायालय वहां पर शुरू हो जायेगा । (2) पीडब्ल्यूडी काम शुरू कर देगी, जैसे ही पूरा काम कम्प्लीट होगा, वहां पर न्यायालय शुरू हो जायेगा । (3) निश्चित तौर पर परीक्षण करवा लेंगे और परीक्षण के उपरांत कार्य शुरू करा देंगे ।		
152	तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.496) दि. 09-07-2019 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले के परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना ।	नवीन न्यायालय भवन के निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग

दिनांक: 09-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
153	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.202) दि. 09-07-2019 (श्री जसमंत जाटव)	शिवपुरी जिले के करैरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा मृतक सदस्यों के खातों में नियम विरुद्ध भुगतान के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	हम उस पर कार्यवाही करेंगे और एफ.आई.आर. भी करेंगे, जो भी दोषी अधिकारी है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।		
154	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.378) दि. 09-07-2019 (श्री हर्ष विजय गेहलोत)	मेसर्स साक्षी ट्रेडर्स सैलाना एवं मेसर्स बागवान ट्रेडिंग कम्पनी रतलाम से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की जाना।	अभिमत प्राप्त होते ही कार्यवाही की जावेगी।		
155	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.468) दि. 09-07-2019 (श्री मनोज चावला)	(1) एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन द्वारा प्याज खरीदी विक्रय भण्डारण में अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जाना। (2) सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन स्तर पर कार्यवाही की जाना। (3) एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन द्वारा विक्रित प्याज में हुई हानि की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) शेष 18 अधिकारियों की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) विक्रित प्याज एवं दोनों वर्षों को मिलाकर हुई हानि संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है।		
156	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.38 (प्रश्न क्रं.620) दि. 09-07-2019 (श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ))	प्रदेश में वर्ष 2018-19 में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु सेल्समेन के रिक्त पदों पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियुक्ति दी जाना।	(1) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) तीन माह की समयावधि में नियुक्ति किये जाने का प्रयास किया जावेगा।		
157	अतारांकित प्रश्न सं.37 (प्रश्न क्रं.444) दि. 09-07-2019 (श्री जालम सिंह पटैल)	सहकारी संस्थाओं के कर्मियों के लिये पेंशन नियामक आयोग गठित किया जाना।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
158	अतारांकित प्रश्न सं.51 (प्रश्न क्रं.607) दि. 09-07-2019 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	(1) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 357, दिनांक 20.02.2019 के उत्तरांश "घ" के संदर्भ में सहायक आयुक्त, सहकारिता कटनी द्वारा राशि की वसूली और कार्यवाही की जाना । (2) कटनी जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन करने वाली समितियों के प्रबंधकों एवं विक्रेताओं से राशन सामग्री के अपयोजन की राशि की वसूली की जाना ।	(1) समिति बिलहरी के 111.88 क्विंटल अमानक धान की सफाई कर नागरिक आपूर्ति निगम कटनी में जमा कराया है, जिसकी राशि रू. 1,73,414.00 निगम से प्राप्त होना शेष है। (2) वसूली की कार्यवाही हेतु कलेक्टर खाद्य, कटनी को आयुक्त सहकारिता के पत्र क्रं./उप /2/वि.स./2019/195 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्देश दिये गये है।		
159	अतारांकित प्रश्न सं.65 (प्रश्न क्रं.652) दि. 09-07-2019 (श्री राकेश गिरि)	टीकमगढ़ जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी एवं शासकीय राशि में गबन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक तथा जांच कार्यवाही की जाना ।	दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जाँच उपरांत दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।		
160	अतारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.698) दि. 09-07-2019 (श्री दिव्यराज सिंह)	प्रदेश में वर्ष 2018-19 में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु सेल्समेन के रिक्त पदों पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार तीन माह में नियुक्ति किया जाना ।	तीन माह की समयवधि में नियुक्ति किये जाने का प्रयास किया जावेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

दिनांक: 09-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
217	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.190) दि. 09-07-2019 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	(1) प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग बांटने में हुए विलंब के कारण अनुपयोगी/खराब उपकरणों की जांच की जाना । (2) प्रदेश के होशंगाबाद, सिवनी, दमोह, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिलों में एल्मिकों द्वारा लगाए कैंपों में आए दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग वितरित करने में हुए विलंब व लापरवाही की जांच कराई जाना । (3) प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को समय पर कैलिपर्स व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना । (4) प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के दौरान भी जन सुविधाओं का सुचारू रूप से प्रचलन सुनिश्चित किया जाना ।	(1) (अ) मा. मंत्री (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग) :- जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है । (ब) मा. मंत्री (स्कूल शिक्षा विभाग) :- हम जांच करा लेंगे । (2) दिव्यांग बच्चों को जो भी सामग्री दी जा रही है, वह समय पर मिले इसको सुनिश्चित करेंगे । माननीय सदस्य ने जो जानकारी हमें दी है, उन जिलों की भी हम जानकारी लेकर वहां भी सुनिश्चित करेंगे कि समय पर बच्चों को कैलिपर्स और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें । (3) अध्यक्ष महोदय के निर्देश :- इन 3 महीनों में कहीं कोई कोताही तो नहीं बरती गई, तदनुसार फिर आप स्वयं निर्णय लें कि भविष्य में चुनाव आचार संहिता के दौरान ऐसी जन सुविधाएं जो मापदंडों के तहत निर्धारित की गई है, वह सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सकें ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक: 09-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
161	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.242) दि. 09-07-2019 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	बाहरी छात्रों के बजाय मध्यप्रदेश के छात्रों को प्रदेश में अधिक से अधिक लाभ/रोजगार दिया जाना एवं आरक्षण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट से कंडीशनल इजाजत लेने के संबंध में कार्यवाही की जाना।	(1) मैंने तो शपथ के बाद पहले दिन यह घोषणा की, कि मध्यप्रदेश के नौजवानों को निजी क्षेत्र में 70 प्रतिशत हर उद्योग को उन्हें प्रिफरेंस देना पड़ेगा। इस पर हम कानून लाने का भी विचार कर रहे हैं। (2) इसलिए हम इस बात से पूरी सहमत हैं और हमारा विचार है कि बड़ी जल्दी ही इसका कानून बनाएंगे। (3) वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखने का विचार है और जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही करेंगे।		
162	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.105) दि. 09-07-2019 (श्री संजय सत्येन्द्र पाठक)	(1) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ में बागरी जाति के लोगों का अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाये जाना। (2) विजयराघवगढ़ के ननवारा ग्राम की सोनम बागरी नाम की छात्रा के जेल विभाग में जेल प्रहरी के नियुक्ति प्रकरण को कंसीडर किया जाना। (3) आरक्षण के मामले में बच्चे-बच्चियों के भविष्य के संबंध में खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों की जांच कराई जाना।	(1) जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (2) आप मुझे लिखकर दे दें, अगर नियमों में आएगा, पात्रता बनती है तो जरूर मदद की जाएगी। (3) माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश :- अगर आरक्षण के मामले में कोई अधिकारी खिलवाड़ करता है जिससे बच्चे-बच्चियों के भविष्य पर कुठाराघात होता है, मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों की जांच करवाइएगा ताकि भविष्य में बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो।		
163	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.397) दि. 09-07-2019 (श्री रामपाल सिंह)	जनप्रतिनिधियों को लिपिकीय सुविधा का लाभ दिये जाने के संबंध में स्थायी आदेश जारी किया जाना।	स्थायी रूप से निर्देश जारी कर देंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
164	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.278) दि. 09-07-2019 (श्री रामकिशोर कावरे)	बालाघाट जिले के समस्त विभागों द्वारा माननीय विधायक/सांसदों के पत्रों के उत्तर न दिये जाने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाना।	नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।		
165	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.475) दि. 09-07-2019 (श्री अर्जुन सिंह)	ई.ओ.डब्ल्यू स्थापना को श्री पुनीत टण्डन द्वारा की गई शिकायत की जांच की जाना।	शिकायत को पंजीबद्ध की जाकर सत्यापन में लिया गया है। शिकायत की जांच जारी है।		
166	अतारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.126) दि. 09-07-2019 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	प्रदेश में 01 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार व अनियमितता के शेष लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही की जाना।	114 प्रकरणों में माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए गए तथा शेष 552 प्रकरण विवेचनाधीन हैं।		
167	अतारांकित प्रश्न सं.70 (प्रश्न क्रं.722) दि. 09-07-2019 (श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ))	रीवा जिले की गुढ तहसील अंतर्गत तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वाहनों का उपयोग एवं शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जाना।	(क) से (ग) इस संबंध में शिकायत की जाँच कलेक्टर, रीवा द्वारा की जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
168	अतारांकित प्रश्न सं.80 (प्रश्न क्रं.758) दि. 09-07-2019 (श्री सुनील सराफ)	फर्जी अनुज्ञा पत्र मामले (किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग) में E.O.W. में प्रकरण क्र. 23/15 में जांच कार्यवाही की जाना।	प्रकरण विवेचनाधीन है।		